न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 32 / 2020

एस.के. फिनकार्प लिमिटेड,
क्षेत्रीय कार्यालयः– जी–1 एवं 2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री ज्ञान प्रकाश कुमावत पुत्र श्री ओम प्रकाश कुमावत
निवासीः– 1136, कसया की ढाणी, ग्राम रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर–305814, राज0

(2) श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बिरदा राम कुमावत,
निवासीः– कसया की ढाणी, ग्राम रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर–305814, राज0

(3) श्रीमती रेखा कुमावत पत्नि श्री ज्ञान प्रकाश कुमावत,
निवासीः– 1136, कसया की ढाणी, ग्राम रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर–305814, राज0

(4) श्री छीत्तर राम पुत्र श्री नारायण राम,
निवासीः– 1146, कागोडिया की ढाणी, ग्राम रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर–305814, राज0

..... अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अश्वनि माटोलिया अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 10.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री ज्ञान प्रकाश कुमावत पुत्र श्री ओम प्रकाश कुमावत एवं श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बिरदा राम कुमावत वगैरह निवासीः– 1136, कसया की ढाणी, ग्राम रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर–305814, राज0 को दिनांक 31.03.2016 को रूपये 10,00,000 / –(अक्षरे दस लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित ग्राम रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राज0 स्थित अचल सम्पति, क्षैत्रफल 233.33 वर्ग गज, पट्टा नं0 66 जो श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बिरदा राम कुमावत के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाए – पूर्व में–भागीरथ का मकान, पश्चिम में –20 फीट रोड उत्तर में–4 फीट गली, दक्षिण में–4 फीट गली, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.08.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 01.10.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 18,34,971/–(अक्षरे अठारह लाख चौंतीस हजार नौ सौ इकहत्तर रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में ग्राम रूपनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राज0 स्थित अचल सम्पति, क्षैत्रफल 233.33 वर्ग गज, पट्टा नं0 66 जो श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बिरदा राम कुमावत के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाए – पूर्व में–भागीरथ का मकान, पश्चिम में –20 फीट रोड उत्तर में–4 फीट गली, दक्षिण में–4 फीट गली, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 10.01.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner